बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या–5/अ0प्र0–01–02/2019 1259 /पटना दिनांक–25-02-2020

राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त विभाग की अधिसूचना सं0–4685 दिनांक–25.06.2003 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य संकल्पों/अधिसूचनाओं के आलोक में दिनांक–29.01.2020 को आयोजित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुरूप ग्रामीण कार्य विभाग संवर्ग के निम्नांकित सहायक अभियंताओं को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तम्भ–7 में अंकित तिथि से स्तम्भ–8 में अंकित वेतनमान में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्रमांक	बैठक की कार्यवाही का क्रमांक	नाम/ गृह जिला	वरीयता क्रमांक वर्ष 2016	जन्म तिथि/ सेवानिवृति की तिथि	प्रथम योगदान की तिथि एवं नियुक्ति का पद	प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (12 वर्ष)	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	24	श्री विनोद कुमार दत्त/ मधुबनी	115	13.07.1961	04.01.1988 क0अ0	04.01.2000	6500–10500
2	29	श्री नन्द किशोर साह/ भागलपुर	JE179	28.01.1961	18.01.1988 क0अ0	18.01.2000	6500–10500
3	83	श्री राम चन्द्र राम/ गोपालगंज	–	12.05.1964	28.07.1989 क0अ0	28.07.2001	6500–10500

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उपर्युक्त सहायक अभियंताओं का वेतन नियतिकरण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के नियम–8 के अनुसार किया जाएगा। मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) ए (i) में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर लिखित रूप से देना अनिवार्य होगा।
3. उपर्युक्त किसी भी सहायक अभियंता के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित सहायक अभियंता को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन संबंधी लाभ को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।
4. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
5. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान से पूर्व संबंधित सहायक अभियंताओं की सेवा में टूट इत्यादि, जिससे वित्तीय उन्नयन प्रभावित होता हो, की जाँच कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/2/2020

(मनोज कुमार)
सरकार के उप सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक–5/अ0प्र0–01–02/2019 1260 /पटना दिनांक– 25·2·2020

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि संबंधित नियमावली एवं परिपत्रों में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतन पूर्जा निर्गत किया जाय।

सरकार के उप सचिव
25/2/2020

ज्ञापांक–5/अ0प्र0–01–02/2019 1260 /पटना दिनांक– 25·02·2020

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/वित्त विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–02, 03 एवं 04/संबंधित सहायक अभियंता एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
25/2/2020

15